# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

**पीठासीन अधिकारी :— सत्य नारायण—I (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या :— 15/2020 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2020/00029
दायर दिनांक :— 21.01.2020 निर्णय दिनांक :— 22.05.2026

1. भीखाराम पुत्र किसनाराम जाति भील निवासी श्यामनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. नेनूराम पुत्र किसनाराम जाति भील निवासी श्यामनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. खैराजराम पुत्र किसनाराम जाति भील निवासी श्यामनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

1. शिवलाल पुत्र अनाराम जाति भील निवासी श्यामनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—प्रतिवादी

## राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

**उपस्थित** :—1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता वादीगण

## —:: निर्णय ::—

वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी तथा अन्य सहखातेदारान लूणा वगैरा के संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि ग्राम श्यानगर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 460 रकबा 45—03 बीघा स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा रूपा के नाम खातेदारी अभिलेखों में अंकित थी रूपा के देहान्त पश्चात उनका विरासत नामान्तरकरण वादीगण के समाज के रीति रिवाज माफिक मृतक के सभी पुत्रों व पौत्रों में काश्त भूमि निहित होने के रिवाज अनुसार पहले पुत्रों को विरासत में दर्ज किया गया अर्थात वादीगण के दादा रूपा का विरासत नामान्तरकरण वादीगण के पिता किसनाराम व भाईयों लूण, अना, मोहन, मूला के नाम स्वीकृत किया गया, किसनाराम के 1/5 हिस्सा में वादीगण प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा अर्थात वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक वादीगण का 1/20—1/20 हिस्सा है। वादीगण प्रत्येक अपने 1/20—1/20 हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। वादीगण के पिता किसनाराम का वादग्रस्त भूमि में 1/20 हिस्सा था। प्रतिवादी ने वादीगण के जायज हक हिस्से की काश्त भूमि से वंचित करने की बदयाति से मात्र रेकर्ड में दर्ज किसनाराम के 1/5 हिस्से का विक्रय पत्र अपने बहक गलत निष्पादित करवा दिया जबकि वादीगण के पिता को वादग्रस्त भूमि में वास्तव में 1/20 हिस्सा होने से उन्हे 1/5 हिस्सा का विक्रय पत्र निष्पादित करने का कोई विधिक अधिकार नही है। प्रतिवादी के बहक गलत निष्पादित विक्रय पत्र पर विधि विरूद्व तरीके से स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 877 ग्राम श्यामनगर निरस्त करने योग्य है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी ग्राम श्यामनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 460 रकबा 45—03 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी व अन्य खातेदारान् के नाम दर्ज है। वादीगण ने उक्त वाद पैतृक सम्पति के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का पेश किया है परन्तु वादीगण के पूर्वज रूपाराम के नाम पूर्व में उक्त भूमि दर्ज थी या नही इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया है। वादग्रस्त भूमि को पैतृक सम्पति साबित करने में वादी विफल रहा है। वादी ने उक्त वाद पत्र केवल वर्तमान जमाबंदी के आधार पर पेश किया है। वादग्रस्त भूमि के अन्य सहखातेदारान को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। उक्त वाद में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है न ही अपने बयान कलमबद्ध करवाये। वादीगण का वाद दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य प्रकाश आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

# डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप**

**बइजलास पीठासीन अधिकारी – सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)**

1. भीखाराम पुत्र किसनाराम जाति भील निवासी श्यामनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. नेनूराम पुत्र किसनाराम जाति भील निवासी श्यामनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. खैराजराम पुत्र किसनाराम जाति भील निवासी श्यामनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

1. शिवलाल पुत्र अनाराम जाति भील निवासी श्यामनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रतिवादी

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

मुकदमा संख्या :– 15 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर मदनसिंह भाटी मिनजानिब मुदई एवं मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। नीचे

| | |
|---|---|
| मुतालिक | बाबत् |
| खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर | फीस सदी सालाना आज की तारीख |
| वसूल याबी तक | को अदा करे। |

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.05.2026 को जारी की गई।

Satya..

(सत्य नारायण–I R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

| मुदई | रूपया | पैसे | मुदायला | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प<br>स्टाम्प वकालत नामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>मेहनताना वकील<br>खर्चा गवाहन<br>फीस कमीश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मिजान | | / | स्टाम्प वकालत नामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>मेहनताना वकील<br>खर्चा वाहन<br>फीस कमीश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुत्फरिक<br>मिजान | | / |

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।